



सन्दर्भ/Ref. 4851

/क्षेसं-14/2021/भोपाल

Date 02/12/2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुंदेलखण्ड।

विषय : दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक बाबत।

संदर्भ : दिनांक 24.11.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

विषयान्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण में क्षेत्र संचालन गतिविधियों से संबंधित निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है :

**बिन्दु क्रमांक 01 :** किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति : प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। भारत सरकार के वित्त सेवा विभाग द्वारा पशुपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने के लिये प्रत्येक शुक्रवार को जिला स्तरीय कैम्प लगाये जाने का अभियान प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्षेत्र संचालन अमले को दुग्ध प्रदायकों से उनके आवेदन लेकर कैम्प में उपस्थित होना है। कैम्प में ये आवेदन उप संचालक, पशुपालन विभाग, जिन्हें इस कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है के माध्यम से LDM को प्रस्तुत किये जायेंगे। LDM द्वारा प्राप्त आवेदनों की छान-बीन उपरांत सही पाये गये आवेदनों की पावती दी जायेगी। त्रुटिपूर्ण आवेदन वापिस कर दिये जायेंगे सही पाये आवेदनों पर संबंधित बैंकों द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

**बिन्दु क्रमांक 1.1 :** समस्त दुग्ध संघ क्षेत्र संचालन अमले को दुग्ध उत्पादक सदस्यों के भरे हुए आवेदनों के साथ जिला स्तरीय कैम्पों में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

**बिन्दु क्रमांक 1.2 :** जिन दुग्ध उत्पादकों द्वारा पूर्व में बैंकों में आवेदन प्रस्तुत किए हैं, परन्तु उन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो उनके आवेदन पुनः भरवाकर प्रस्तुत किये जाये।


**बिन्दु क्रमांक 1.3 :** आवेदन पत्र पुराने प्रारूप में ही भरे जावेंगे। यदि आवश्यक हो तो प्रारूप पुनः प्रिन्ट करवा दिये जाये।

**बिन्दु क्रमांक 1.4 :** एमपीसीडीएफ भोपाल को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक मंगलवार को अनिवार्यतः जानकारी प्रेषित की जाना सुनिश्चित करें।

- बिन्दु क्रमांक 02 : आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति गठन :
- बिन्दु क्रमांक 2.1 : बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ को छोड़कर अन्य दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध सहकारी समिति गठन की तुलना में उपायुक्त, सहकारी संस्थाओं को पंजीयन हेतु कम प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। दुग्ध संघ समस्त गठित समितियों के प्रस्ताव तत्काल उपायुक्त, सहकारी संस्थाओं को प्रस्तुत करे एवं निरंतर फालोअप करें।
- बिन्दु क्रमांक 2.2 : समिति गठन का कार्य दिसम्बर तक पूर्ण किया जाये, ताकि समस्त समितियों का पंजीयन मार्च 2022 तक पूर्ण हो सके।
- बिन्दु क्रमांक 2.3 : योजना की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही है अतः लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।
- बिन्दु क्रमांक 10.2 : इंदौर दुग्ध संघ दिनांक 30.11.2021 तक निमाड़ दुग्ध संघ गठन की कार्ययोजना तैयार कर एमपीसीडीएफ को प्रेषित करें।
- बिन्दु क्रमांक 10.3 : समस्त दुग्ध संघ निर्देशानुसार युवा संवादों का आयोजन सुनिश्चित करें।
- बिन्दु क्रमांक 10.13 : इंदौर दुग्ध संघ बेल्ल मक्का सायलेज की निविदा को दिनांक 30.11.2021 तक अंतिम रूप दें।
- बिन्दु क्रमांक 10.16 : जबलपुर एवं इंदौर दुग्ध संघ बकरी के दूध विक्रय में वृद्धि हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही करें।
- बिन्दु क्रमांक 11 : अन्य निर्देश :
- बिन्दु क्रमांक 11.1 : मुख्य कार्यपालन अधिकारी निजी बैंकों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सूचित करें कि यदि उनके द्वारा विभागीय योजनाओं तथा किसान क्रेडिट कार्ड/राष्ट्रीय पशुधन मिशन इत्यादि अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जायेगा तो निजी बैंकों में दुग्ध संघों द्वारा खाते नहीं रखे जायेंगे।
- बिन्दु क्रमांक 11.2 : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पूर्व में प्राप्त राशि से AMCU स्थापना के संबंध में दुग्ध संघ दिनांक 30.11.2021 तक समितियों की संख्या से अवगत कराये। इस संबंध में 500 लीटर से अधिक दुग्ध संकलन वाली दुग्ध सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जावे।
- बिन्दु क्रमांक 11.3 : इंदौर तथा उज्जैन दुग्ध संघ राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत पशु आहार / चारा विकास हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 05.12.2021 तक एमपीसीडीएफ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

बिन्दु क्रमांक 11.6 : पशुपालन तथा डेयरी विभाग द्वारा पशु पालकों को कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही अनेक दुग्ध उत्पादकों द्वारा एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उच्च नस्ल की बछिया प्राप्त की जा रही है। दुग्ध से संबंध दुग्ध उत्पादकों को भी इसका लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाये।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.12.2021 तक अनिवार्यतः एमपीसीडीएफ को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

  
महाप्रबंधक (क्षेत्र) 2/1/21